Dumping of Steel Products

106. SHRI ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have investigated the dumping of steel products in the country;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) the reasons therefor; and

(d) the action/steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) to (d) An anti-dumping petition was filed by M/s SAIL and M/s. Essar Steel Ltd., on behalf of the domestic steel producers with the Designated Authority in the Ministry of Commerce under the provisions of the customs Tariff Act, alleging dumping of HR Coils/Sheets/Plates from Russia, Ukraine and Kazakistan. The petition is supported by other major steel producers like TISCO and Lloyd Steel. The Designated authority vide their notification dated 18th November, 1998 has recommended imposition of Anti-dumping duties on imports from Russia & Ukraine, which shall be the difference between the amount mentioned in column 3 below and the landed price of imports per MT subject to a minimum of Rs. 481 per MT.

SN	Item Description	Amount (Rs. per MT)
(1)	(2)	(3)
1	Hot Rolled Coils	14300
2	Hot Rolled Strips/Sheets/Plates	15000
3	Boiler Quality Plates	22000

खान अधिनियम में संशोधन

107. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:**

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले माह खान अधिनियम में व्यापक संशोधन किए हैं;

(ख) सरकार ने उक्त संशोधनों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया है;

(ग) संशोधित अधिनियम में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है; और

(घ) संशोधित अधिनियम के द्वारा खनन प्रक्रिया का कहां तक विकास होगा?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) से (घ) खान अधिनियम, 1952 श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है तथा महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तथापि खनिज विकास और खनिज रियायत की स्वीकृति, खान एंव खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा शासित किए जाते हैं और इस्पात एंव खान मंत्रालय के अधीन खान विभाग द्वारा इन नियमों का संचालन किया जाता है। खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में पिछले महीने में कोई संशोधन नहीं किया गया है। वस्तुत: इस अधिनियम में पिछला संशोधन जनवरी, 1994 में किया गया था। तथापि केन्द्र सरकार ने फरवरी, 1997 में सचिव; खान विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। राज्य सरकारों के खनन सचिव; महासचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ तथा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो आदि इसके सदस्य थे। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें नीति में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के उपाय बताना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों की मंजूरी/नवीनीकरण में होने वाली देरी को कम करने के उपाय सुझाव शामिल था। समिति का पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों की मंजूरी/नवीकरण के संबंध में राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन पर विचार करना तथा सुझाव देना एंव अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय भी सुझाने थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिस पर आगामी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

Steel Plants Running in Losses

108. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether some Public Sector Steel Plants are running in losses;

(b) whether the Rourkela Steel Plant is one of them;

(c) what are the other steel plants running in losses and since when;

(d) the reasons therefor;